

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेड़ा जिला-भीलवाड़ा

पीठारसीन अधिकारी :- गहीपालसिंह, आर०ए०एस०

मुकदमा संख्या :- 26/2021 प्रा० पत्र

1- गोपाल लाल पुत्र नारामण लाल जाहि माली नि० पामंल -प्रार्थी।  
वनाम

1- प्रेम देवी पत्नी बालू जाहि बलाई नि० लाडुवाल व अन्य विपक्षीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा०गू०रा०अधि० 1956

:: निर्णय ::

दिनांक: 16/03/2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा० मू० राज० अधि० 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम लाडुवाल पटवार हल्का लाडुवाल मू०अ०नि० क्षेत्र वेमाली में उनके खाता संख्या 322 की आ०न० 2706 रकबा 0.6956 हे (कुल भिगा 1)

स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थीगण अपने खाते/ संयुक्त खातों की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 18/01/2021 को पंजीयत किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एव कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का अदेशा नही है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों का देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है।

:: आदेशः

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम लाडुवाल पटवार हल्का लाडुवाल मू०अ०नि० क्षेत्र वेमाली में उनके खाता संख्या 322 की आराजी नम्बर 2706 रकबा 0.2956 हे (कुल भिगा)

भूमि स्थित है। भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू अ०नि० वेमाली को 500 /- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण गौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की गौजूदगी में गौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नही की जावे।

सालंगन :- प्रार्थना पत्र प्रति।



प्रतिलिपि :- तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमावली के तहत पत्थरगढी की जाकर फालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी पदेन  
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी पदेन  
करेड़ा जिला भीलवाड़ा